

- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोक सभा की सीट के लिए गजट अधिसूचना बीस मार्च को जारी की जाएगी।
- निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है।
- श्री अर्जुन शर्मा ने मीडिया से **Paid** न्यूज़ न चलाने की अपील की।
- द्वीपसमूह में आगामी चुनाव के लिए आदर्श मतदान केन्द्रों के साथ महिला कर्मियों द्वारा संचालित नौ मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
- श्री डी. अय्यप्पन द्वीपसमूह की एकमात्र लोक सभा सीट के लिए मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के उम्मीदवार होंगे।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोक सभा की सीट के लिए गजट अधिसूचना बीस मार्च को जारी की जाएगी। उम्मीदवार सत्ताईस मार्च तक अपना नाम दाखिल कर सकते हैं। अट्ठाईस मार्च को नामकन पत्रों की जांच की जाएगी और तीस मार्च तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। द्वीपों में पहले चरण के तहत उन्नीस अप्रैल को मतदान होगा तथा मतों की गणना चार जून को की जाएगी। पोर्ट ब्लेयर में आज मीडिया को जानकारी देते हुए अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न प्रकार की टीम का भी गठन किया गया है।

निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए अनुमति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नामकन प्रकोष्ठ भी निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में स्थापित किया गया है।

<><><><><><><>

श्री अर्जुन शर्मा ने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में कुल चार सौ बारह मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें से दक्षिण अंडमान में दो सौ तेईस, मध्योत्तर अंडमान में एक सौ बत्तीस और निकोबार ज़िले में सत्तावन मतदान केन्द्र हैं। इन सभी मतदान केन्द्रों में मतदान के दिन बिजली, पानी, शौचालय जैसी निश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। उन्होंने सभी से **Paid** न्यूज़ न चलाने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मीडिया प्रमाणन व निगरानी समिति का गठन किया गया है।

श्री अर्जुन शर्मा ने कहा कि इस बार कुल नौ मतदान केन्द्र ऐसे बनाए गए हैं जहां सिर्फ महिला कर्मियों की ही तैनाती होगी और वे मतदान केन्द्रों का संचालन करेंगी। इसके अलावा कुछ आदर्श मतदान केन्द्र की भी स्थापना की गई है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस और चुनाव कर्मियों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। ऐसे सभी कर्मियों को चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी होंगे ताकि वे अपने अपने ड्यूटी क्षेत्र के मतदान

केन्द्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के लिए जरूरी सभी सुविधाओं की जांच कर ली गई है।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान ज़िला पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए पुलिस कर्मियों को जानकारी दी गई है। इसके अलावा अर्ध सैनिक बलों के साथ भी जानकारीयां साझा की गई है और आसामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

<><><><><><><>

मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी ने अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोक सभा की एकमात्र सीट के लिए श्री डी. अय्यप्पन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की पिछले दिनों हुई पोलिट ब्यूरो की बैठक में उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<><><><><><><>